

08-08-19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्ता, राजमहल

नामान्तरण अपील वाद सं०-02/2015-16

मो० नाईम अख्तर वगै०

बनाम

अवरू बीबी एवं अन्य

आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक मो० नाईम अख्तर, पिता- मो० जाकिर हुसैन, सा०- खरदिग्धी मनसिंहा, थाना- राजमहल, जिला- साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद सं० 771/2012-13 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गयी है। साथ धारा 05 के तहत कालक्षन्ति आवेदन भी दाखिल की गई है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर दिनांक 08.05.2015 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की मांग की गई है तथा अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख की मांग की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

मौजा	जमाबंदी नं०	दाग नं०	रकवा
मदिया	267	01	04-14-00
	180		04-00-00
	242		04-00-00

उभय पक्ष की ओर से आज वकालतन हाजरी दाखिल की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि उक्त वर्णित जमीन मौजा मदिया, जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन उमेशचन्द्र दास ने अपने जीवनकाल में ही निबंधित केवाला सं० 3703/1973 के द्वारा कैलाश मंडल को विक्रय किया। पुनः उक्त जमीन को कैलाश मंडल के द्वारा निबंधित केवाला सं० 5330/1974 के माध्यम से योगेन्द्र स्वर्णकार को विक्रय किया। पुनः योगेन्द्र मंडल द्वारा क्रय की गयी जमीन को उनके पुत्र द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विक्रय किये, जो निम्न हैं:-

क्र०	नाम	निबंधित केवाला सं०	रकवा
1.	खगेशर मंडल	5770/1993	01-00-00
2.	रामवती देवा	5769/1993	00-05-00
3.	झकसु मंडल	5768/1993	00-19-00
4.	टोपा मंडल	5771/1993	01-00-00
5.	आलम	5772/1993	01-00-00
6.	सुदाम मंडल	5773/1993	00-10-00

उनका यह भी कहना है कि उपरोक्त क्रेताओं के वारिसान द्वारा निबंधित केवाला सं० 5357/2014 एवं 5358/2014 के द्वारा मौजा मदिया के जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, कुल रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन अपीलार्थी को विक्री किये। क्रय के पश्चात अपीलार्थी उक्त जमीन पर दखलकार बने हुये हैं। परन्तु उक्त जमीन को गलत एवं अवैध ढंग से उत्तरवादी ने अंचल अधिकारी के द्वारा नामान्तरण करवा लिया। जबकि उत्तरवादी के विक्रेता को जमाबंदी नं०- 267 में जमीन है ही नहीं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के

नामांतरण वाद सं० 771/2012-13, दिनांक 26.11.2012 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाय।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गयी है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि अपीलार्थी के द्वारा नामांतरण द्वारा संबधित वाद मौजा मदिया जमाबंदी नं०- 267, दाग नं०- 01, रकवा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन को लेकर दाखिल किया गया है। जबकि उत्तरवादी के नाम जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का अचल अधिकारी द्वारा नामांतरण हुआ है। अतएव उनका कहना है कि उक्त वाद विधि अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि मौजा मदिया के जमाबंदी नं०- 267 के अंतर्गत निबंधित केवाला सं० 5555/2014 एवं 5550/2014 के द्वारा 04 बीघा 14 कट्टा जमीन अपीलार्थी के द्वारा क्रय किया गया है, जबकि उत्तरवादी द्वारा वर्ष 2011 में जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का क्रय कर वर्ष 2011-12 में नामांतरण करवा कर दखलकार बने हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011 में अपीलार्थी उक्त जमीन का ना तो मालिक था और ना ही उसके दखल में था। फलस्वरूप अपीलार्थी के दाखिल अपील आवेदन में सभी कथन विल्कुल ही निराधार एवं सत्य से परे है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अंत में कहना है कि उत्तरवादी जमाबंदी नं०- 180 अंतर्गत जमीन का नामांतरण करवाया है ना कि जमाबंदी नं०- 267 का। अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन का पंजी 11 से मिलान किया एवं सही पाया। विक्रेता ने अपने नाना एवं माता के नाम की जमीन उनके मरणोपरांत अपने-अपने अंश की जमीन निबंधित केवाला सं० 5550/2011, दिनांक 01.12.2011 द्वारा कुल रकवा 02 बीघा 08 कट्टा जमीन आवेदकों के पास विक्री किये हैं। उक्त जमीन पर आवेदकों का शांतिपूर्ण दखल है। साथ ही उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन भू-दान, भू-हदबंदी, बन्दोवस्ती, बासगीत पर्चा, आम खास, रेलवे बी क्लास एवं विवाद से मुक्त है। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा नामांतरण की अनुशंसा की गयी है। उक्त अनुशंसा के आलोक में अंचल निरीक्षक द्वारा हल्का कर्मचारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को सत्यापित एवं अनुशंसित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत यह प्रतीत होता है कि उक्त वाद स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित है तथा प्रथम पक्ष निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने हेतु दखल संबंधी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्ता  
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्ता,  
राजमहल।